

7.1.20

पत्रावली पत्रा/ प्राची एव प्राची अधिकारिता ^{उप} अध्यापिका/ प्राची वकील को अप्राची की तलबी हेतु नोटिस रजि० एडी संहित पेश करे के लिए कई बार विदेशित किया गया परन्तु कभी प्राची वकील अथवा प्राची द्वारा इनमे कोई रुचि नहीं लेकर आडिगांक तक नोटिस तलबाना रजि० एडी संहित पेश नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राची अपने प्राची पत्र को लेकर गंभीर नहीं है। प्राची द्वारा अप्राची की तलबी हेतु पुन नोटिस तलबाना भग रजि० एडी पेश नहीं करे से द्वारा अपालना में सारीच किया जात है। पत्रावली फेसल शुगा लेका व गभ्वर रोकम की जाकर वाविल हफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

